नगर पालिक निगम, भोपाल

जनसंपर्क शाखा

नगर निगम ने जनसुरक्षा के लिए घातक शौकत महल के जर्जर गेट के हिस्से को तोड़ा

हाइड्रोलिक मशीन तथा जे.सी.बी. व श्रमिकों की मदद से की गई कार्यवाही

भोपाल, 12 जुलाई 2015

सदर मंजिल के समीप एवं इकबाल मैदान के सामने शौकत महल के गेट में आई दरारों से गेट का ऊपरी हिस्सा जर्जर हो गया था और जनसुरक्षा के लिए घातक था। नगर निगम ने रविवार को जनसुरक्षा के लिए घातक शौकत महल के जर्जर गेट के हिस्से को चार बार में कार्यवाही कर तोड दिया। निगम ने जर्जर हिस्से को श्रमिकों के माध्यम से भी तोडने की कार्यवाही की। कार्यवाही में हाइड्रोलिक मशीन एवं जे.सी.बी. का उपयोग किया गया तथा कार्यवाही के दौरान मोती मस्जिद से फायर ब्रिगेड तक के मार्ग को पूरी तरह से बंद रखा गया।

सदर मंजिल के समीप एवं इकबाल मैदान के सामने शौकत महल के गेट में आई दरारों से गेट का ऊपरी हिस्सा जर्जर हो गया था और जनसुरक्षा के लिए घातक था। निगम आयुक्त श्री तेजस्वी एस. नायक ने शनिवार को निरीक्षण कर जनसुरक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश दिए गए थे। निगम आयुक्त श्री नायक के निर्देश पर नगर निगम ने जनसुरक्षा के लिए घातक शौकत महल के जर्जर गेट के हिस्से को चार बार में कार्यवाही कर तोड दिया।

निगम के अपर आयुक्त श्री एम.पी. सिंह के नेतृत्व में नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी अमले, फायर ब्रिगेड के अमले ने रविवार को मोती मस्जिद से फायर ब्रिगेड तक के मुख्य मार्ग को बैरिकेटस एवं वाहन लगाकर बंद किया गया। निगम की हाइड्रोलिक मशीन में सवार होकर फायर बिग्रेड एवं अतिक्रमण शाखा के कर्मचारियों ने शौकत महल के जर्जर गेट को सब्बल से गिराने की कार्यवाही की जिससे गेट के ऊपर का जर्जर हिस्सा पूरी तरह हिल रहा था। निगम अमले ने गेट के ऊपर के जर्जर हिस्से को हाइड्रोलिक मशीन में सवार श्रमिकों ने रस्सी से बांध दिया और जे.सी.बी. से खींचने पर गेट के बीच का जर्जर हिस्सा भरभराकर मार्ग पर गिर गया। निगम अमले ने गेट के ऊपरी भाग में बचे दोनों जर्जर हिस्सों को रस्सी से बांधकर जे.सी.बी. मशीन से खींचा गया और दोनों जर्जर हिस्से भी भरभराकर सड़क पर गिरे। निगम की कार्यवाही में शेष बचे गेट के जर्जर हिस्से को तोडने के लिए फिर से हाइड्रोलिक मशीन में सवार होकर श्रमिकों ने सब्बल एवं हथौडे से गेट के ऊपर के दूसरे हिस्से को भी तोडने की कार्यवाही की। शौकत महल के गेट के ऊपरी जर्जर हिस्से को तोडने की कई घण्टे चली कार्यवाही में मोती मस्जिद से फायर ब्रिगेड तक मुख्य मार्ग को बंद रखा गया और विद्युत लाईने भी बंद कराई गई तथा गेट के स्थल तक काफी दूर तक किसी भी व्यक्ति को रहने नहीं दिया गया। गेट के जर्जर हिस्से को तोडने की कार्यवाही में गिरे मलमे को मुख्य मार्ग से जे.सी.बी. मशीन के माध्यम से हटाने की कार्यवाही की गई। ए.डी.एम. श्री विकास मिश्रा ने रविवार को स्थल का निरीक्षण किया। निगम अमले द्वारा सतर्कता से की गई कार्यवाही के दौरान एस.डी.एम. श्री रवि सिंह, निगम के अपर आयुक्त श्री एम.पी. सिंह, पुरातत्व विभाग के अधिकारी, नगरयंत्री सिविल श्री ए.के. नन्दा, तहसीलदार श्री त्रिभुवन गुप्ता, थाना प्रभारी जोनल अधिकारी 02 श्री एम.पी. शांडिल्य, जोन क्र. 02 के उपनगरयंत्री एवं सहायकयंत्री एवं अन्य अमला, फायर बिग्रेड तथा अतिक्रमण शाखा के लगभग 70 कर्मचारी तथा पुलिस बल मौजूद थे।

———————

नगर पालिक निगम, भोपाल

जनसंपर्क शाखा

नगर निगम ने बडे तालाब में अवैध रूप से सिंगाडों की खेती करने वालों के खिलाफ दर्ज कराई एफ.आई.आर.

भोपाल, 12 जुलाई 2015

नगर निगम भोपाल ने बडे तालाब के अंदर अवैध रूप से कुछ लोगों द्वारा सिंगाडों की खेती कर रहे थे जिनके खिलाफ निगम प्रशासन ने पुलिस बल के साथ कार्यवाही की एवं उन्हें पकडकर रातीबड थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई। अपर आयुक्त श्री संजय कुमार ने झील संरक्षण के प्रभारी श्री संतोष गुप्ता के साथ वन विहार के सामने बडे तालाब में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से की जा रही सिंगाडे की खेती के संबंध में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही कराई है। नगर निगम ने एन.जी.टी. के तत्वाधान के अंतर्गत बडे एवं छोटे तालाब को प्रदूषण से बचाने के लिए निरंतर कार्यवाही की जा रही है और आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। नगर निगम ने ऐसे तत्वों को सावधान किया है कि जो लोग इस कार्यवाही का विरोध करेंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाएगी।

नगर निगम ने जनसुरक्षा के लिए घातक शौकत महल के जर्जर गेट के हिस्से को तोड़ा

हाइड्रोलिक मशीन तथा जे.सी.बी. व श्रमिकों की मदद से की गई कार्यवाही

भोपाल, 12 जुलाई 2015

सदर मंजिल के समीप एवं इकबाल मैदान के सामने शौकत महल के गेट में आई दरारों से गेट का ऊपरी हिस्सा जर्जर हो गया था और जनसुरक्षा के लिए घातक था। नगर निगम ने रविवार को जनसुरक्षा के लिए घातक शौकत महल के जर्जर गेट के हिस्से को चार बार में कार्यवाही कर तोड दिया। निगम ने जर्जर हिस्से को श्रमिकों के माध्यम से भी तोडने की कार्यवाही की। कार्यवाही में हाइड्रोलिक मशीन एवं जे.सी.बी. का उपयोग किया गया तथा कार्यवाही के दौरान मोती मस्जिद से फायर ब्रिगेड तक के मार्ग को पूरी तरह से बंद रखा गया।

सदर मंजिल के समीप एवं इकबाल मैदान के सामने शौकत महल के गेट में आई दरारों से गेट का ऊपरी हिस्सा जर्जर हो गया था और जनसुरक्षा के लिए घातक था। निगम आयुक्त श्री तेजस्वी एस. नायक ने शनिवार को निरीक्षण कर जनसुरक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश दिए गए थे। निगम आयुक्त श्री नायक के निर्देश पर नगर निगम ने जनसुरक्षा के लिए घातक शौकत महल के जर्जर गेट के हिस्से को चार बार में कार्यवाही कर तोड दिया।

निगम के अपर आयुक्त श्री एम.पी. सिंह के नेतृत्व में नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी अमले, फायर ब्रिगेड के अमले ने रविवार को मोती मस्जिद से फायर ब्रिगेड तक के मुख्य मार्ग को बैरिकेटस एवं वाहन लगाकर बंद किया गया। निगम की हाइड्रोलिक मशीन में सवार होकर फायर बिग्रेड एवं अतिक्रमण शाखा के कर्मचारियों ने शौकत महल के जर्जर गेट को सब्बल से गिराने की कार्यवाही की जिससे गेट के ऊपर का जर्जर हिस्सा पूरी तरह हिल रहा था। निगम अमले ने गेट के ऊपर के जर्जर हिस्से को हाइड्रोलिक मशीन में सवार श्रमिकों ने रस्सी से बांध दिया और जे.सी.बी. से खींचने पर गेट के बीच का जर्जर

हिस्सा भरभराकर मार्ग पर गिर गया। निगम अमले ने गेट के ऊपरी भाग में बचे दोनों जर्जर हिस्सों को रस्सी से बांधकर जे.सी.बी. मशीन से खींचा गया और दोनों जर्जर हिस्से भी भरभराकर सड़क पर गिरे। निगम की कार्यवाही में शेष बचे गेट के जर्जर हिस्से को तोडने के लिए फिर से हाइड्रोलिक मशीन में सवार होकर श्रमिकों ने सब्बल एवं हथौडे से गेट के ऊपर के दूसरे हिस्से को भी तोडने की कार्यवाही की। शौकत महल के गेट के ऊपरी जर्जर हिस्से को तोडने की कई घण्टे चली कार्यवाही में मोती मस्जिद से फायर ब्रिगेड तक मुख्य मार्ग को बंद रखा गया और विद्युत लाईने भी बंद कराई गई तथा गेट के स्थल तक काफी दूर तक किसी भी व्यक्ति को रहने नहीं दिया गया। गेट के जर्जर हिस्से को तोडने की कार्यवाही में गिरे मलमे को मुख्य मार्ग से जे.सी.बी. मशीन के माध्यम से हटाने की कार्यवाही की गई। ए.डी.एम. श्री विकास मिश्रा ने रविवार को स्थल का निरीक्षण किया। निगम अमले द्वारा सतर्कता से की गई कार्यवाही के दौरान एस.डी.एम. श्री रवि सिंह, निगम के अपर आयुक्त श्री एम.पी. सिंह, पुरातत्व विभाग के अधिकारी, नगरयंत्री सिविल श्री ए.के. नन्दा, तहसीलदार श्री त्रिभुवन गुप्ता, थाना प्रभारी जोनल अधिकारी 02 श्री एम.पी. शांडिल्य, जोन क्र. 02 के उपनगरयंत्री एवं सहायकयंत्री एवं अन्य अमला, फायर बिग्रेड तथा अतिक्रमण शाखा के लगभग 70 कर्मचारी तथा पुलिस बल मौजूद थे।

———————